न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–28/2026

1.अनील कुमार उर्फ अनील यादव पिता– विजय कु0 प्रसाद विजय प्रसाद। साकिन–लहरियाचक, फुलवारीशरीफ आलमपुर,गौनपुर, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना।

–––––– अभियुक्त।

आवेदक की ओर से– श्री शशिकांत यादव, अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से –श्री रामकेश्वर प्र0, लोक अभियोजक।

आदेश

12.03.2026 रूपसपुर थाना कांड संख्या–401/2025 धारा– 85,352,351(2),3(5) बी.एन.एस., 3/4 दहेज अधिनियम व 67आई.टी.एक्ट से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचिका का कथन है कि दिनांक–22.12.2023 को अनिल यादव के साथ कोर्ट मैरिज हुआ था, परन्तु लड़का के माता, पिता, बहन, बहनोई मेरी शादी को स्वीकार नहीं किया। विगत् दो वर्षों से सभी लोग मुझे तरह–तरह से प्रताड़ित करते हैं तथा कहते हैं कि जब तक दहेज में 25 लाख रूपया नहीं दोगे, तब तक स्वीकार नहीं करेंगे, इस बीच स्थिति सामान्य करने के लिये अनील यादव, उनके पिता एवं बहनोई ने मेरे परिवार से पॉच लाख रू0 भी ले लिये, फिर भी स्वीकार नहीं किये और खाना खर्चा भी नहीं दे रहा है। मेरे पिताजी रिटायर कर्मी हैं। सब मिलकर मेरे पूरे परिवार को खत्म करने व मुझे भी मारकर फेक देने की धमकी देते हैं। दिनांक–11.09.2024 से आज तक अनिल यादव अपने मोवाईल से मेरे मोबाईल एवं बहन, भाई, फुफेरा भाई–बहन के मोबाईल पर गाली–गलौज ,मैसेज एवं अश्लील विडीओ भेज रहे हैं और धमकी देते हैं कि 25 लाख रू0 और नहीं दोगे तो तुम्हें व तुम्हारे परिवार को बदनाम कर जीना हराम कर देंगे। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है

लगातार

12.03.2026

कि यह आवेदक सूचिका का पति है। पति का दायित्व है कि वह अपनी पत्नी को मान–मर्यादा एवं सद्भाव के साथ रखें, जबकि उक्त आवेदक द्वारा अपने मोबाईल से सूचिका के मोबाईल पर गाली–गलौज, मैसेज एवं अश्लील विडीओ भेजने व धमकी देने से संबंधित है।

अवएव मामले के तथ्यों देखते हुये उक्त अभियुक्त को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, उनके तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,

Sd/-

–

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।